अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
कार्यालय आदेश - 314

का०आ०सं०–निग / सारा–04 (पथ)–14 / 2026 / पटना, दिनांक 23/10/2026

श्री परमानन्द पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल संख्या–01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कनीय अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, खगडिया से पथ प्रमण्डल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के संदर्भ में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–2617(ई) दिनांक–18.04.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत् हैं:–

(i) श्री परमानन्द पासवान, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये अपने कर्त्तव्य से दिनांक–01.01.2026, दिनांक–19.01.2026 से 25.02.2026 तथा दिनांक–02.03.2026 से 07.03.2026 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जो उनके स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

(ii) अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के उपरांत श्री पासवान के द्वारा बिना विधिवत् योगदान समर्पित किये दिनांक–26.02.2026 से 28.02.2026 तक अपनी मर्जी से अनियमित रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कर कार्यालय से अनुपस्थित रहना जारी रखा तथा दिनांक–09.03.2026 से अपनी सुविधानुसार बायोमैट्रीक उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, जो अनुशासनहीनता का द्योतक है।

(iii) श्री पासवान के द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा–कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01 (श्री गणेश जी) के विरूद्ध प्रशाखा का कार्य नहीं करने देने तथा वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सीधे जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को शिकायत की गयी, जो विभागीय व्यवस्था, पदानुक्रम एवं उचित फोरम की अवहेलना का द्योतक है।

(iv) इसके अतिरिक्त श्री पासवान द्वारा प्रमंडलाधीन अन्य कनीय अभियंताओं के कार्यक्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य में संलग्न संवेदक के कर्मियों को भ्रमित किया गया तथा कार्यस्थल का विडियो बनाकर उसे सोशल मिडिया (Whatsapp group) पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया, जिससे कार्यसंस्कृति प्रभावित हुआ।

(v) दिनांक–09.04.2026 को 04:35 बजे अपराह्न में श्री पासवान के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में शोरगुल करते हुए अनाधिकृत रूप से जबरन प्रवेश कर उनके साथ असभ्य एवं हिंसात्मक व्यवहार किया गया। जिससे कार्यालय का कार्य माहौल एवं अनुशासन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

3. उक्त आरोपों के संबंध में श्री पासवान द्वारा पत्रांक–01 दिनांक–07.05.2026 द्वारा अपना बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री पासवान द्वारा आरोपों

का पूर्ण एवं बिन्दुवार उत्तर नहीं दिया गया है या इसका खण्डन नहीं किया गया है। उन्होंने आरोपों के सीधे–सीधे उत्तर देने के बजाय कार्य आवंटन, वेतन भुगतान, प्रमण्डलीय कार्य व्यवस्था आदि से संबंधित असंगत एवं साक्ष्य विहिन तथ्यों का उल्लेख कर मूल आरोपों से भटकाने का प्रयास किया गया है। आरोप संख्या–(i) के संबंध में श्री पासवान का कहना है कि वे Field Duty कर रहे थे तथा Whatsapp के माध्यम से कार्य की सूचना कार्यपालक अभियंता को देते थे। किन्तु इसके समर्थन में यथा Field Duty कार्य हेतु किसी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने से संबंधित कोई आदेश/साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। आरोप संख्या–(ii) के संबंध में श्री पासवान द्वारा कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। इस संबंध में उल्लेख किये हैं कि वे कार्य क्षेत्र से एक दिन भी बाहर नहीं गये थे, इसलिए योगदान देने का प्रश्न नहीं उठता। जबकि आरोप संख्या–(i) से स्पष्ट है कि श्री पासवान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहे हैं। आरोप संख्या–(iii) के संबंध में उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसके संबंध में श्री पासवान ने जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से शिकायत की थी। परन्तु जिला पदाधिकारी को किये गये शिकायत में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोप संख्या–(iv) के संबंध में श्री पासवान द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रमंडलाधीन किये जा रहे कार्यों का Whatsapp करने का कार्यपालक अभियंता से निदेश प्राप्त था, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य/निदेश की प्रति संलग्न नहीं की गयी। कार्यपालक अभियंता के कार्यालय कक्ष में जबरन प्रवेश कर उनके साथ असभ्य एवं हिंसात्मक व्यवहार करने संबंधी गंभीर आरोप संख्या–(v) के संबंध में श्री पासवान द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। तदनुसार श्री पासवान का बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त श्री परमानन्द पासवान तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल संख्या–01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कनीय अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, खगडिया के बचाव का लिखित अभिकथन पत्रांक–01 दिनांक–07.05.2026 को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है:–

(i) **"निन्दन (आरोप वर्ष–2026)"**

अभियंता प्रमुख (मु०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–निग/सारा–04 (पथ)–14/2026 **/पटना, दिनांक**.....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, अग्रिम योजना अंचल, पटना/ कार्यपाल अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–13/14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–03) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तथा **श्री परमानन्द पासवान तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल संख्या–01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति**

कनीय अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मु०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–निग/सारा–04 (पथ)–14/2026 7482(6) /पटना, दिनांक 23/10/2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

23/10/26

अभियंता प्रमुख (मु०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22.10.26